

DHARAVI COMPILED MEDIA REPORT
09 Feb, 2025 – 10 Feb, 2025

 **Total Mention 6**

 Print	Financial	Mainline	Regional	Periodical
4	1	N/A	3	N/A
 Tv	Business	English	Hindi	Regional
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
 Online				

2




Print

No	Newspaper	Headline	Edition	Pg
1.	Business Standard (Hindi)	Fear of losing identity haunts Dharavi's leather industry	Chandigarh + 1	1, 7
2.	Loksatta	Attempt to force Govandi Adani company's throat	Pune + 1	4
3.	Navakal	Upper floors in the slums are unauthorized, the government's policy is correct! High Court's decisio...	Mumbai	1
4.	Sakal	Adjudication of properties only with the permission of DRP	Mumbai	1

Business Standard (Hindi) • 10 Feb • Dharavi
Fear of losing identity haunts Dharavi's leather industry

1, 7 • PG

884 • Sqcm

92850 • AVE

15.51K • Cir

Top Center,Top Left

Chandigarh • Mumbai



प्रांत की बात » पृष्ठ 7
धारावी के चमड़ा उद्योग को
सता रहा पहचान खोने का डर

धारावी के चमड़ा उद्योग को सता रहा पहचान खोने का डर

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी इस समय अपने पुनर्विकास परियोजना के कारण सुर्खियों में हैं

सुशील मिश्र

अगर आप किसी नामी ब्रांड का बैग या पर्स लेकर चल रहे हैं या उसकी जैकेट पहने हैं तो बहुत मुमकिन है कि वह धारावी से बनकर आया हो। जो धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती होने का दावा होती है, चमड़े का यह शानदार सामान उसी की तंग और बदहाल गलियों की पहचान है। कई परिवार तो यहां पीढ़ियों से चमड़े और पांटी की इकाइयां चला रहे हैं। लेकिन धारावी के पुनर्विकास की बात सुर्खियों में आने के बाद उन्हीं कारोबार बिखरने का डर सता रहा है। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है क्योंकि यहां से कारखाने भिखंडी, गोवंडी, कुर्ली और मदनपुरा जैसे इलाकों में जाने लगे हैं।

देश-विदेश में धूम

मुंबई के बीचोबीच बसी धारावी में चमड़े और पांटी हो नहीं देवाओं, जूतों और कपड़ों ते भी कई कारखाने हैं। बेशक यहां का उद्योग असंगठित है मगर हजारों लोगों को रोजगार देता है और यहां बने चमड़े के उत्पाद दुनिया भर के बाजारों को निर्यात किए जाते हैं। धारावी लेदर एसोसिएशन कहती है कि यहां चमड़े का सामान बनाने वाले हो 15,000 से ज्यादा कारखाने हैं और उनमें सालाना 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा का माल बनता है। इसमें से करीब 65 करोड़ डॉलर का सामान विदेश चला जाता है। यहां तमाम ब्रांड की नकल तो बनती ही है, उद्यमी बताते हैं कि कई महंगे विदेशी ब्रांड भी ठेके पर अपने उत्पाद यहीं तैयार कराते हैं और लगभग सभी बड़े ब्रांडों के लिए चमड़े के जूते, जैकेट, बैग, वॉलेट वगैरह यहां तैयार होते हैं।

कारोबारी लिहाज से इतने फलते-फूलते इलाके का पुनर्विकास होना अच्छी बात है मगर उद्यमी और कारीगर कारोबार बिखरने और पहचान चले जाने के डर से जुड़ रहे हैं। धारावी लेदर एसोसिएशन को सदस्य और केपी इंडस्ट्रीज की निरीक्षण पत्रजा राजगुरु कहती हैं कि पुनर्विकास से इलाका आधुनिक हो जाएगा मगर इस दौरान कई परिवारों और कारीगरों का विस्थापन हो सकता है, जिससे उद्योग का ताना-बाना बिखर जाएगा। ऊंचे किराये और बढ़ते खर्च के कारण छोटे कारोबारियों और कारीगरों के लिए कहीं और काम जमाना मुश्किल होगा। साथ ही धारावी के चमड़ा उद्योग की पहचान रही हाथ की कारीगरी भी गुम हो जाएगी।

छोटे उद्यमियों को खटक

कारीगरों में यहां बिहार के लोगों का बोलबाला है। बिहार फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य अहसान हुसैन कहते हैं कि मंदगो में मगर कोई नहीं चाहता, लेकिन पीढ़ियों से यहां काम कर रहे लोगों ने अपनी मेहनत के बदल पर धारावी को कुटीरे उद्योगों का गढ़ बनाया है। पिछले कुछ साल से उद्योग यहां से बिहार जैसे राज्यों की तरफ खिसकने लगा है मगर छोटे कारोबारियों को ठिकाने नहीं बना सकते। ये छोटे कारोबारी ही आज



चमड़े के माल के उत्पादन और निर्यात में महाराष्ट्र आठवें स्थान पर है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेदर पार्क तैयार कर रही है

चमड़ा उद्योग की रीढ़ हैं, जिन्हें पुनर्विकास बिखेर सकता है।

धारावी के पुनर्विकास का ठेका जिस कंपनी को मिला, उसमें अदाणी समूह की 80 फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी का नाम बदलकर नवभारत मेगा डेवलपर्स कर दिया गया है। मोहम्मद आबिद शेख बताते हैं कि पुनर्विकास के लिए सर्वेक्षण करने आए कंपनी के लोग यह नहीं बताते कि कारखाने के लिए जगह कहाँ दी जाएगी, इसलिए शुबहा होता है। बॉम्बे वेल्ड के नाम से कारखाना चला रहे मोहम्मद सैदुल्ला के लिए धारावी से दूर जाने का मतलब काम खत्म हो जाना है। वह कहते हैं कि बड़ी पूंजी वाले तो काम दोबारा खड़ा कर लेंगे मगर छोटी पूंजी वाले खत्म हो जाएंगे। धारावी के ज्यादातर चमड़ा कारखानों में नीचे के तल पर लोग रहते हैं और ऊपर दो-तीन मंजिलों में माल बनता है। इस तरह कुल मिलाकर 1,000 वर्ग फुट से ज्यादा जगह होती है मगर पुनर्विकास के बाद कितनी जगह मिलेगी यह किसी को नहीं पता।

किंतु कुछ युवा उद्यमियों के पास दिलचस्प समाधान हैं। ईजीनियरिंग करने के बाद चमड़े का अपना पुतेनी कारखाना संचाल रहे फैज कहते हैं, 'धारावी में अब तैयार चमड़े और आर्टिफिशल चमड़े का माल हो

बनता है और दोनों तरह का चमड़ा, कोलकाता, कानपुर तथा विदेश से आता है।

रेडीमेड चमड़ा कपड़े जैसा होता है और इससे प्रदूषण नहीं फैलता। इसीलिए इसका काम रिहायशी इलाकों में भी किया जा सकता है। इसलिए धारावी के उद्योग धंधों को यहीं जगह दी जा सकती है। यहां कई इलाकों में ऊंची इमारतें बन सकती हैं, जहां तीन-चार मंजिल के व्यावसायिक ठिकाने बनाकर धारावी का उद्योग बचाया जा सकता है।

इधर लतीफ अहमद जैसे कई कारोबारी उत्साहित भी हैं। वह कहते हैं कि 30-35 साल से पुनर्विकास की बात हो रही है और सर्वेक्षण भी होता रहा है मगर इस बार लगता है कि धारावी चमक जाएगी। कारोबारियों में पसरे डर की बात छेड़ने पर वह कहते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी अपने-अपने हिसाब से कुछ न कुछ काह रही है, सरकार भी जानकारी दे रही है मगर लिखित में कुछ नहीं है, जिसके कारण डर लगता है।

बदल रहा चमड़ा कारोबार

धारावी में चमड़े के कारोबार की शकल बदल चुकी है। प्रदूषण के नियम सख्त होने से कच्चे चमड़े का काम

नहीं के बराबर बचा है। भारतीय फुटबिगर कम्पेन्ट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय गुप्ता कहते हैं कि दुनिया भर में पर्यावरण के अनुकूल और क्रूरता से मुक्त सामान की मांग बढ़ी है, जिसका असर धारावी पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र में कुछ जानवरों के वध पर रोक लगने से भी कच्चा माल नहीं मिलता। इससे उत्पादन लागत बढ़ गई है और मुनाफा भी घटा है।

चमड़े के माल के उत्पादन और निर्यात में महाराष्ट्र आठवें स्थान पर है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेदर पार्क तैयार कर रही है। रायगड जिले के रतवाड़ में 151 एकड़ क्षेत्र में मेगा लेदर फुटबिगर एवं एक्सेसरीज क्लस्टर पार्क बनाया जा रहा है। मुंबई के देवना में भी लेदर पार्क बनना है, जिसकी 17 मंजिलों में से एक मंजिल पर लेदर मॉल भी होगा। इस पर लगभग 183 करोड़ रुपये खर्च होने हैं और धारावी के करीब 150 कारखाने यहां बस सकते हैं।

सरकार का सबको घर का दावा

कारोबारी आशंका जता रहे हैं मगर प्रशासन सर्वेक्षण पूरा करने में जुटा है। धारावी पुनर्विकास परियोजना/ झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एस वी आर श्रीनिवास ने कहा, 'धारावी के लोग सर्वे में पूरा साथ दे रहे हैं। लोगों को हम यकीन दिला रहे हैं कि पुनर्विकास में कोई भी बेघर नहीं होगा और हर झुग्गी मालिक को अपना घर मिलेगा।'

धारावी पुनर्विकास परियोजना के निविदा दस्तावेज के मुताबिक धारावी में 350 वर्ग फुट का मकान उन्हीं हो मिलेगा, जिनके भूतल पर मकान 1 जनवरी 2000 या उससे पहले से हैं। 1 जनवरी, 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच जिन लोगों ने जमीन पर मकान बनवाए, उन्हें 2.5 लाख रुपये देने होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धारावी के बाहर 300 वर्ग फुट के मकान मिल जाएंगे। ऊपरी मंजिल पर मकान बनवाने वालों और 1 जनवरी, 2022 के बाद मकान बनवाने वालों को धारावी में मकान नहीं मिलेगा। उन्हें धारावी के बाहर 300 वर्ग फुट का मकान किराये पर दिया जाएगा।

दस्तावेज यह भी कहता है कि 1 जनवरी, 2000 या उससे पहले भूतल पर बने प्रदूषण मुक्त एवं पात्र वाणिज्यिक तथा औद्योगिक धंधों को धारावी में 225 वर्ग फुट तक जगह मुफ्त दी जाएगी और उससे ज्यादा जगह चाहिए तो टेलीस्कोपिक रिडक्शन रविधि से निर्माण का खर्च उनसे लिया जाएगा। चमड़े का सामान, परिधान, खाद्य प्रसंस्करण और आर्टिफिशल महनों को इकाइयां धारावी के भीतर नए सिरे से बसाई जाएंगी।

बिहार की मेहनत और हुनर से चमकता कारोबार

धारावी झुग्गी में चमड़ा उद्योग की शुरुआत 1920 के दशक में हुई, जब तमिलनाडु से आए लोगों ने यहां चमड़े के कारखाने लगाए। बाद में देश के दूसरे हिस्सों से आए प्रवासी भी इस व्यापार में दाखिल हो गए। मगर आज यहां हर गली और कारखाने में आपकी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की छाप दिख जाएगी। तैयार चमड़े का माल बनाने वाले 90 फीसदी कारीगर इन दो प्रदेशों से ही हैं और पीढ़ियों से जुते, वेल्ड, पर्स, जैकेट आदि बना रहे हैं।

धारावी में चमड़ा उद्योग की बुनियाद असल में ब्रिटिश सेना और प्रशासन को जुते, पड़ियां और चमड़े का दूसरा सामान मुहैया कराने के लिए डाली गई थी। उस दौरान यह मलिन बस्ती कहलाती थी मगर चमड़े के सामान की मांग बढ़ने के कारण यहां के चमड़ा उद्योग का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहा। यह देखकर देश के तकरीबन हर हिस्से से लोग चमड़ा उद्योग में काम करने मुंबई चले आए। समय के साथ यहां परिवार द्वारा चलाई जा रही छोटी चमड़ा इकाइयां का बोलबाला हो गया। यहां कच्चा चमड़ा भी इस्तेमाल होता था और तैयार चमड़ा भी मगर सरकारी योजनाओं और प्रदूषण के सख्त मानकों के कारण कच्चे चमड़े का काम बहुत कम हो गया है। कच्चे चमड़े के कारोबार में आज भी दक्षिण भारतीय लोगों का दबदबा है और तैयार चमड़े के उत्पादों का कारोबार उत्तर भारतीयों के कब्जे में है। यहां नामी कंपनियों के उत्पाद तो तैयार होते ही हैं ब्रांडों की नकल भी खूब बनाई जाती है। यहां हर कंपनी का ड्यूलिकेट सामान मिल जाता है और असली ब्रांड के उत्पाद से करीब 80 फीसदी तक सस्ता होता है।

चुनौती बना सस्ता नकली चमड़ा

बाजार में आज फॉ लेदर या नकली चमड़े का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कुदरती चमड़े से बहुत सस्ता होता है। इसे पेट्रोलियम से निकलने वाली पॉलिव्थेन (पीवू) या पॉलिविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) से बनाया जाता है। इसे बनाने में जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल होने के कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। यह जानवरों के चमड़े के मुकाबले बहुत जल्दी खराब हो भी जाता है। प्राकृतिक चमड़ा खुद ही खत्म हो जाता है और फॉ लेदर से ज्यादा आसानी से रीसाइकल हो सकता है। बेहतरीन असली चमड़ा दशकों तक चल सकता है।

केपी इंडस्ट्रीज की पत्रजा राजगुरु कहते हैं कि दोनों विकल्प हैं। तब ग्राहक को करना होता है कि पर्यावरण की चिंता करनी है या बजट की। लेकिन नकली चमड़ा आज पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है क्योंकि मुंबई में इसकी रीसाइक्लिंग के लिए कोई कारखाना ही नहीं है। इसका ज्यादातर आयात चीन से होता है और तोहफों के लिए इससे बने सामान का खूब इस्तेमाल होता है क्योंकि असली चमड़े के उत्पादों से ये करीब 80 फीसदी सस्ते पड़ते हैं।

Dharavi's leather industry, employing thousands, faces uncertainty amid redevelopment plans. With over 15,000 factories, Dharavi exports \$65 million in leather goods annually. While some entrepreneurs worry about displacement, others propose solutions like multi-floor commercial spaces to preserve the industry. The government's leather park initiatives aim to support this vital sector.

Loksatta • 10 Feb • Dharavi

Attempt to force Govandi Adani company's throat

4 • PG

105 • Sqcm

61263 • AVE

272.51K • Cir

Middle Left

Pune • Mumbai

अदानी कंपनीच्या घशात गोवंडी घालण्याचा प्रयत्न

मुंबई : गोवंडीतील १२७ एकर जमिनीवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे बांधली जाणार असून स्थानिकांना मुंबईबाहेर पाठवण्याचा महायुती सरकार डाव आहे, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आझमी यांनी केला. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे समाजवादी पक्षाचे 'पीडीए' (पिछडा- दलित- अल्पसंख्याक) संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. त्या वेळी आझमी बोलत होते. देशात कायदा उरला नाही. मतदारयाद्यांमध्ये गडबड केली जात आहे. ऐनवेळी मतदारांची नावे सामील केली जातात. त्यामुळे अल्पसंख्याक मतदारसंघातही भाजपचे उमेदवार विजयी होत आहेत. गायबेलांच्या मांसविक्रीस पूर्ण हिंदुस्थानात बंदी का नाही, असा सवाल आझमी यांनी केला.

Mumbai MLA Abu Azmi criticized the Mahayuti government, alleging plans to displace locals for redevelopment projects. Speaking at a Dalit-Dalit-Minority meeting, Azmi also questioned voter manipulation in minority constituencies and raised concerns about the cow meat ban in India.

Navakal • 10 Feb • Dharavi

Upper floors in the slums are unauthorized, the government's policy is correct! High Court's decisio...

1 • PG

311 • Sqcm

155501 • AVE

273.62K • Cir

Top Left

Mumbai

झोपडपट्ट्यांमधील वरचे मजले अनधिकृतच सरकारचे धोरण योग्य! हायकोर्टाचा निर्वाळा

मुंबईची पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे आणि आसपासच्या परिसरातील बहुतांश झोपडपट्ट्यांमधील घरे दुमजली किंवा काही ठिकाणी तीन मजली झाली आहेत. या बहुमजली झोपड्यांचे वरचे मजले अनधिकृत असून, वरच्या मजल्यावर राहणाऱ्यांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, हे राज्य सरकारचे धोरण मुंबई उच्च न्यायालयाने रास्त ठरवले असून, सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली.

■ मुंबई

भाजपाचे माजी खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास सुधारणा कायदा २०१७ मधील कलम ३ व (फ) ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. कायद्यातील ही तरतूद भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वाशी विसंगत आहेत. त्याचबरोबर ती झोपडपट्टीवासियांचा जगण्याचा अधिकार नाकारणारी आहे, असा युक्तिवाद शेट्टी यांनी केला होता. बेकायदा झोपड्या नियमित करण्याच्या राज्य सरकारनेच निश्चित केलेल्या मुदतीनुसार १ जानेवारी २०११ च्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या दुमजली झोपड्यांचे वरचे मजले कायदेशीर ठरविले जावेत.

वरच्या मजल्यांवर राहणाऱ्यांचाही झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेमध्ये समावेश करून त्यांना पक्की घरे द्यावीत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली होती.

या खटल्यात सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद केला. सराफ यांनी सरकारच्या निर्णय समर्थन करताना २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच स्वरूपाच्या अन्य एका याचिकेमध्ये सरकारचा निर्णय रास्त ठरविला होता. बेकायदेशीरपणे उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्यांना आवर घालून लोकांना पक्की आणि सुरक्षित घरे देण्यासाठी सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लागू केली असून,



झोपड्यांच्या वरच्या मजल्यांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सराफ यांनी सांगितले.

मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा कायद्याला थेट आव्हान देण्यात आल्याचे दिसत नाही. तसेच या योजनेद्वारे सरकार पात्र झोपडीधारकांचे मोफत पुनर्वसन करीत असून, जागा उपलब्ध असल्यास अपात्र झोपडीधारकांना माफक दरात घरे दिली जातात. त्यामुळे या योजनेमध्ये घटनाबाह्य असे काहीही नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

गोपाळ शेट्टी हे सन २००४ पासून अपात्र झोपडीवासीयांसाठी न्यायालयीन लढा देत आहेत. झोपडीवासीयांमध्ये पात्र-अपात्र असा भेदभाव करणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी याचिकेद्वारे

मग धारावीचे काय ?

उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सध्या गाजत असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. झोपड्यांचे वरचे मजले बेकायदेशीर ठरविण्याचे जर सरकारचे धोरण असेल. सरकारने तसा कायदा केला असेल तर धारावीतील अपात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन का केले जाणार आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला (डीआरपी) राज्य सरकारने स्पेशल परपज व्हेईकल असा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे डीआरपीला झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा लागू होत नाही, असे सांगितले जाते. मात्र त्यामुळे भविष्यात आपल्या झोपडपट्टीलाही असा विशेष दर्जा द्यावा, अशी मागणी झोपडपट्टीवासीयांकडून होऊ शकेल.

मांडली होती. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा कायदा हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. तो घटनेच्या विसंगत असल्याचे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने शेट्टी यांची याचिका फेटाळली.

The Bombay High Court upheld the state government's policy excluding upper floors of slums from the Slum Rehabilitation Scheme, rejecting BJP's Gopal Shetty's petition. Shetty had argued for equal treatment of slum dwellers, but the court affirmed the government's decision, sparking concerns about the ongoing Dharavi redevelopment project.

Sakal • 10 Feb • Dharavi

Adjudication of properties only with the permission of DRP

1 • PG

98 • Sqcm

64458 • AVE

352.42K • Cir

Top Right

Mumbai

**‘डीआरपी’च्या
परवानगीनेच
मालमत्तांचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा**

मुंबई, ता. ९ : धारावीचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी राज्य सरकारने २०२१ मध्ये धारावी अधिसूचना काढली आहे. तसेच धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे धारावी अधिसूचित क्षेत्रातील मुंबई महापालिकेच्या आखल्यातील मालमत्ता आणि जागाबाबतचा निर्णय यापुढे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/ प्राधिकरणाच्या (डीआरपी) परवानगीने घ्यावा लागणार आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील मालमत्ताबाबत पालिकेने निर्देशपत्र जारी केले आहे.

धारावी प्रकल्पाच्या अधिसूचित क्षेत्रात अनेक ठिकाणी पालिकेच्या मालकीच्या मालमत्ता, रिकामे भूखंड, भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्ता आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/ प्राधिकरणाचे सर्व नियम, परिपत्रके व इतर बाबी लागू होतात. त्यामुळे अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीच्या दिनांकानंतर मालमत्ता विभागाच्या अंतर्गत मालमत्ता, भाडेतत्वावरील मालमत्ता व रिक्त भूभाग व इतर सर्व मालमत्ताबाबत कोणताही प्रकरणे हस्तांतरित करता येणार नाहीत.

पालिकेचे निर्देशपत्र

या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणी दिनांकानंतर काही हस्तांतरण झाली असल्यास सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजूरी घेऊन प्रकरणे पूर्ववत करावेत, अशा निर्देशाचे परिपत्रक पालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांनी काढले आहे. त्याचबरोबर यापुढे अधिसूचित क्षेत्रातील महापालिकेच्या जमिनी व मालमत्ताबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/ प्राधिकरण यांची पूर्वपरवानगी घेऊन पुढील निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले आहे.

the article discusses a state government notification aimed at redeveloping dharavi, including the establishment of a redevelopment authority that will oversee all property-related decisions in the notified area. it details how any transfer or decision regarding municipal properties within this zone must now be approved by the competent authorities under the new directive.

 Online Coverage

No	Portal Name	Headline (Incorporated with URL)	Reach
1.	Loksatta - Marathi Newspaper	पालिकेच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना राज्य सरकारच्या निधीची प्रतीक्षा, अधिमूल्यात...	33.4M
2.	Navakal	झोपडपट्ट्यांमधील वरचे मजले अनधिकृतच! सरकारचे धोरण योग्य! हायकोर्टाचा निर्वाळा	N/A